न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—43/13 (2013/00076) वाद पत्र

उनवान

1—रतनलाल आत्मज हीरालाल सुनार निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादी

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 89, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. फारूख मोहम्मद — वादी अधिवक्ता
2. तहसीलदार रायपुर — पैराकार सरकार

निर्णय दिनांक 03.09.2020

पत्रावली आज में पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम आशाहोली पटवार हल्का आशाहोली तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे आराजी संख्या 2202 रकबा 0.54 है0 भूमि स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबन्दी सवंत 2059 से 2062 तक प्रस्तुत की है। ग्राम आशाहोली का वर्तमान सेटलमेन्ट हुआ सेटलमेन्ट होने से पूर्व राजस्व रेकार्ड में वादी के नाम पर आराजी संख्या 1290/4 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा दर्ज थी। प्रमाण में नकल जमाबन्दी साथ पेश की है। वादी की आराजी संख्या 1290/4 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि दिनांक 26.05.1984 को आवंटन हुई तब से ही काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। सेटलमेन्ट वालो ने मनमकसुद तरीके से आराजी संख्या 1290मीन के बताये हुए आराजी नम्बर 2202 रकबा 0.54 है0 भूमि वादी के नाम कर दी। वादी ने वक्त सेटलमेन्ट आराजी संख्या 2201, 2208, 2209 जिसके साबिक नम्बर 1290/3 के उत्तर दिशा मे ही कब्जा सिपूर्द किया था ओर उसी आराजी पर वादी ने जमीन को उपजाउ बनाने के लिये हजारो रूपये खर्च किये है। इस आराजी ने सेटलमेन्ट वालो ने आराजी संख्या 1289मी जिसके नवीन नम्बर 2210, 2211, 2212, 2193, 2194, 2195, 2199 बनाये गये है। वादी के कब्जे शुदा आराजी संख्या 2210 को वादी के खाते दर्ज नही कर इसके स्थान पर आराजी संख्या 2202 दर्ज कर दी। जबकि वादी आवंटन से ही 2210 पर ही काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। अतः वादी की सादर प्रार्थना है कि ग्राम आशाहोली तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में स्थित आराजी संख्या 2210 रकबा 0.54 है0 भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित कराया जाकर राजस्व रेकार्ड में वादी के नाम पर दर्ज करायी जावे व आराजी संख्या 2202 को वादी के खाते से हटाई जावे। स्थायी निषेधाज्ञा का डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी इस आशय की जारी फरमाई जावे कि प्रतिवादी मुझ वादी को उक्त आराजी संख्या 2210 रकबा 0.54 है0 भूमि से बेदखल नही करे।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 13.05.2013 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे प्रतिवादी द्वारा जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली है। प्रतिवादी द्वारा अपने जबाव में अंकन किया कि वाद की कॉलम संख्या 1 व 2 स्वीकार करते हुए कहा कि प्रार्थी की आराजी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.09.16 17:39:27 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 1290/4 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा आंवटन होने से खातेदारी में दर्ज हुई परन्तु राजस्व नक्शे में तरमीम नही होने से बन्दोबस्त विभाग द्वारा खसरा नम्बर 1290 मीन के नये नम्बर बनाये हाल खसरा नम्बर 2202 साबिक खसरा नम्बर 1290 से बनना अकिंत किया। हाल खसरा नम्बर 2201, 2208, 2209, साबिक खसरा नम्बर 1290/3 से बनना एवं खसरा नम्बर 2210, 2211, 2212, 2193, 2194 आदि साबिक खसरा नम्बर 1289 से बनना अकिंत किया वादी आराजी नम्बर 2210 पर अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है। नक्शे में 1290/4 की तरमीम नही की हुई है। वादी का कब्जा 2210 पर होने से इसके विरूद्व अतिक्रमी की कार्यवाही की जा रही है। वादी का दावा काबिज खारीज योग्य है।

प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गई।

1. आया वादी का आवंटन 1290/4 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा आराजी नम्बर 2202 है या आराजी नम्बर 2210 जिम्मे वादी

2. आया साबिक खसरा नम्बर 1290/4 किस जगह स्थित है व उसके मौके से हाल नम्बर क्या है। जिम्मे वादी

3. हाल आराजी नम्बर 2210 साबिक खसरा नम्बर 1290 का हिस्सा नही था। जिम्मे प्रतिवादी

4. आया कब्जा व खातेदारी आराजी नम्बर 2202 के स्थान पर दी गई थी। जिम्मे प्रतिवादी

तनकीवार निर्णय इस प्रकार है।

1. आया वादी का आवंटन 1290/4 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा आराजी नम्बर 2202 है या आराजी नम्बर 2210 जिम्मे वादी

इस तनकी को साबित कराने का भार वादी पर था आया साबिक आराजी नम्बर 1290/4 से आराजी नम्बर 2210 बना या आराजी नम्बर 2202 बना इस बाबत् साबिक आराजी नम्बर 1290/4 किस जगह था वादी ने साबिक आराजी नम्बर 1290 में आवंटन आदेश नक्शा ट्रेस कब्जा सिपूर्दगी नामा, रिपोर्ट पटवारी आदि की प्रमाणित प्रति पेश की गई है जिससे स्पष्ट प्रमाणित होता है कि वादी को मूल आराजी नम्बर 1290 में 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि आवंटन हुई है और जहां वादी आवंटी को कब्जा दिया गया है उसी जगह के नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति पेश की गई है इसके अलावा वादी को जहां कब्जा दिया गया है वादी आज उसी जगह काबिज है और राजस्व ऐजेन्सी द्वारा जिस जगह वादी के द्वारा फसल काश्त की गई है उसको दौराने गिरदावरी खसरे में दर्ज करना दौराने बहस अधिवक्ता द्वारा बताया गया है। वादी को कब्जे के अनुसार और आंवटन शर्तो की पालना के अनुसार खातेदारी अधिकार दिया गया है वादी आवंटन से लेकर आज तक उसी जगह काबिज है। भू प्रबन्ध विभाग द्वारा वादी के नवीन खसरा नम्बर 2210 को साबिक खसरा नम्बर 1289 से बनना बताया गया है जो गलत है। इस खसरा नम्बर से पूर्व 2199 से लगातार 2209 तक एवं उसके बाद 2213 से 2220 तक नवीन खसरा नम्बर को साबिक आराजी नम्बर 1290 से ही बनना दर्शाया गया है। खसरा नम्बर 2210 मूल खसरा नम्बर 1290 का ही भाग है। इसके विपरीत पैरोकार सरकार द्वारा मात्र यह कहा कि 1290/4 की तरमीम नक्शे में नही [illegible] कराया तरमीम नही

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.09.16 17:39:27 IST
Reason: SelfAttested

होने से किसी का कब्जा चेंज नही होता है। ऐसी स्थिति मे उपरोक्त विवरण अनुसार वादी तनकी नम्बर 1 को साबित करने में सफल रहा है जिसके आधार पर इस तनकी का निर्णय बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी किया जाता है।

2. आया साबिक खसरा नम्बर 1290/4 किस जगह स्थित है व उसके मौके से हाल नम्बर क्या है। जिम्मे वादी

इस तनकी को साबित कराने का भार वादी पर था आराजी नम्बर 1290/4 किस जगह था पैरोकार सरकार ने जवाब में लिखा कि 1290/4 की नक्शे में तरमीम नही है इसके विपरीत वादी द्वारा वादी को जिस खसरा नम्बर में आवंटन हुआ इससे सम्बधित आवंटन आदेश एवं जहां कब्जा दिया गया उस जगह का मय पड़ौसियान के नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति पेश की गई है जिसका विस्तृत विवरण तनकी नम्बर 1 में दर्शाया गया है। यह तनकी भी तनकी नम्बर 1 से सम्बधित है तनकी नम्बर 1 का निर्णय बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में इस तनकी का निर्णय भी तनकी नम्बर 1 के अनुसार बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी किया जाता है।

3. हाल आराजी नम्बर 2210 साबिक खसरा नम्बर 1290 का हिस्सा नही था। जिम्मे प्रतिवादी

इस तनकी को साबित कराने का भार प्रतिवादी पर था आराजी नम्बर 2210 साबिक मिलान क्षैत्रफल के अनुसार खसरा नम्बर 1289 का हिस्सा होना दर्शाया गया है किन्तु मौके अनुसार भी साबिक खसरा नम्बर 1289 का ही हिस्सा होना पैरोकार सरकार ने बताया।

इसके विपरीत वादी की ओर प्रस्तुत प्रकरण में पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड अनुसार साबिक आराजी नम्बर 1290 में बिलानाम भूमि एवं चारागाह भूमि अर्थात दोनो किस्म की भूमि दर्ज रेकार्ड थी किन्तु राजस्व नक्शे में पुक्ता तरमीम नही होने से राजस्व ऐजेन्सी द्वारा बिलानाम भूमि का आवंटन हुआ उन आवंटियो को जहां कब्जा दिया गया था उस भूमि को बिलानाम मानते हुए ही कब्जा दिया गया था और जहां कब्जा दिया गया था उस भूमि को काफी अंग मेहनत एवं राशि खर्च करते हुए भूमि को आबाद की गई और आंवटन से लगाकर आज तक वादी उसी जगह काबिज होना पीडब्ल्यू 1 श्री रतनलाल, पीडब्ल्यू 2 श्री मांगीलाल पिता छोगा कुम्हार, पीडब्ल्यू 3 श्री डालचन्द पिता घीसा लखारा, पीडब्ल्यू 5 श्री सोहनलाल पिता हीरालाल सिघंवी द्वारा बयान दिये गये है जो वादी के अलावा शेष गवाह 65 से 70 वर्ष के बजुर्ग है जिन्होने आंवटन से आज दिनांक तक वादी का उसी जगह कब्जा होना दर्शाया है। उपरोक्त विवरण अनुसार इस तनकी को साबित करने में पुख्ता साबिक रेकार्ड एवं मौके अनुसार प्रतिवादी असफल रहा है जिससे इस तनकी का निर्णय विरूद्व प्रतिवादी बहक वादी किया जाता है।

4. आया कब्जा व खातेदारी आराजी नम्बर 2202 के स्थान पर दी गई थी। जिम्मे प्रतिवादी

इस तनकी के सम्बन्ध में प्रतिवादी के द्वारा कही भी ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नही किया कि वादी गलत जगह बैठा हुआ है। इसके अलावा भी प्रतिवादी पैरोकार सरकार तहसीलदार रायपुर के द्वारा पत्रावली में उपलब्ध जमाबन्दी [illegible] खाता संख्या 633 में

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.09.16 17:39:27 IST
Reason: SelfAttested

वादी के नाम भूमि गैरखातेदारी की हैसियत से दर्ज थी जिसको खातेदारी अधिकार दिया जाकर इसी जमाबन्दी के कॉलम 14, 15, 16 में इन्तकाल नम्बर 1364 दिनांक 26.07.1995 से गैर खातेदारी से खातेदारी हक प्रदान करने की स्वीकृती का नोट अंकित किया हुआ है। इससे यह स्पष्ट प्रमाणित है कि वादी दिनांक 26.07.1995 को वादी मूल आंवटन शुदा भूमि मे ही काबिज था और उसी दौरान भू प्रबन्ध की कार्यवाही चालु होने एवं नवीन भू प्रबन्ध विभाग द्वारा वादी का कब्जा साबिक आराजी नम्बर 1289 में होना मानते हुए मिलान क्षैत्रफल में साबिक खसरा नम्बर 1289 दर्ज कर दिया। वादी के नाम दर्ज खसरा नम्बर 2202 भूमि मौक पर पड़त व खुली पड़ी हुई है इस आराजी के तीन तरफ चारागाह भूमि स्थित है। तहसीलदार रायपुर के द्वारा वादी का कब्जा आराजी नम्बर 2210 पर है उसी अनुसार वादी को खातेदारी अधिकार प्रदान किया गया है ऐसी स्थिति में इस तनकी को साबित कराने में प्रतिवादी असफल रहा है जिससे इस तनकी का निर्णय विरूद्व प्रतिवादी बहक वादी किया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर मै इस निष्कर्ष पर पहुॅचा कि वादी को भूमि आवंटन हुई और आवंटन होने के बाद आदिनांक तक वादी उसी जगह पर काबिज है और उतने ही रकबे पर काबिज है जितना आंवटन हुआ। वादी के नाम रेकार्ड में मात्र आराजी नम्बर 2210 के बजाय आराजी नम्बर 2202 दर्ज होने से वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है। पूर्व में इस न्यायालय के आदेश दिनांक 09.03.2011 से निर्णय में भी वादी को आराजी नम्बर 2210 का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया उस निर्णय से मै पूर्णतया सहमत हुॅ जिससे वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को सिद्व करने में सफल रहने से वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् स्वीकार कर ग्राम आशाहेाली तहसील रायपुर के आराजी नम्बर 2202 रकबा 0.54 है0 के बजाय आराजी नम्बर 2210 रकबा 0.54 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, वादी के नाम दर्ज आराजी नम्बर 2202 रकबा 0.54 है0 भूमि राजस्व रेकार्ड में आराजी नम्बर 2210 के स्थान पर दर्ज की जावे। इसी अनुसार डिक्री जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 03.09.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

3.9.2020

सुन्दरलाल बम्बोडा
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर (भीलवाड़ा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.09.16 17:39:27 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–43 / 13 (2013 / 00076) वाद पत्र

उनवान

1–रतनलाल आत्मज हीरालाल सुनार निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादी

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादीगण के पक्ष मे विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम आशाहेाली तहसील रायपुर के आराजी नम्बर 2202 रकबा 0.54 है0 के बजाय आराजी नम्बर 2210 रकबा 0.54 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, वादी के नाम दर्ज आराजी नम्बर 2202 रकबा 0.54 है0 भूमि राजस्व रेकार्ड में आराजी नम्बर 2210 के स्थान पर दर्ज की जावे।

वाद में डिक्री आज दिनांक 03.09.2020 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

3-9-2020

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर (भीलवाड़ा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.09.16 17:39:27 IST
Reason: SelfAttested